



2026:AHC:52536

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 18761 वर्ष 2025

श्रीमती मोहनिया देवीयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : देवेश कुमार शुक्ला, कमलेंद्र त्रिपाठी

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी. (स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री देवेश कुमार शुक्ला की ओर से श्री कपिल द्विवेदी (पंजीकरण संख्या UP 0592/23) और राज्य-प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव को सुना गया।
2. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव द्वारा निर्देश उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वह निर्देशों से पूरी तरह सुसज्जित हैं और रिट याचिका के निस्तारण के लिए ये निर्देश पर्याप्त हैं। वह कोई और शपथ पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं और चाहते हैं कि याचिका का निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। अतः, पक्षों की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय नए चरण पर ही किया जा रहा है।
3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता के पति, घनश्याम दास शुक्ला, अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड-प्रथम, कर्वी के अधीन सिंचाई विभाग के एक स्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (सींच पर्यवेक्षक) थे। वह 31.07.2012 को सेवानिवृत्त हुए थे और अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड-प्रथम, कर्वी द्वारा 22.11.2012 को एक आदेश पारित किया गया था, जिसके तहत उनकी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जी.पी.एफ. राशि 3,24,883/- रुपये का भुगतान किया गया था। याचिकाकर्ता के पति श्री घनश्याम दास शुक्ला का निधन 20.06.2015 को हो गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, 15.09.2024 के एक आदेश द्वारा पारिवारिक पेंशन को 01.01.2016 से संशोधित किया गया और पारिवारिक पेंशन की गणना 23,100/- रुपये की गई। पारिवारिक पेंशन याचिकाकर्ता के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती थी। हालांकि, 18.10.2025 को पुलिस याचिकाकर्ता के घर आई और उन्हें अवगत कराया कि पारिवारिक पेंशन के बकाया के रूप में 47,19,974/- रुपये का अधिक भुगतान हो गया है। इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 3, वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार चित्रकूट, जिला चित्रकूट द्वारा 01.11.2025 को एक वसूली नोटिस जारी किया गया जिसमें याचिकाकर्ता को 51,16,471/- रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया। याचिका के पैरा-18 में, याचिकाकर्ता ने कहा है कि 47,19,974/- रुपये के कथित गबन के संबंध में एक एफ.आई.आर. भी दर्ज की गई है। याचिकाकर्ता का दावा है कि उन्होंने 03.10.2025 को भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा कर्वी के सरकारी खाते में ट्रेजरी चालान के माध्यम से 15 लाख रुपये जमा कर दिए हैं, और प्रतिवादी संख्या 3 ने याचिकाकर्ता के बैंक खाते से 6 लाख रुपये निकाल लिए हैं, जिससे कुल जमा राशि 21 लाख रुपये हो गई है। याचिकाकर्ता के अनुसार अब शेष देयता 26,19,974/- रुपये है।

4. दिनांक 01.11.2025 के नोटिस को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।
5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल से प्राप्त निर्देशों के आधार पर तर्क दिया है कि एक बार जब 15 लाख रुपये की राशि जमा कर दी गई है, तो उस राशि को वास्तविक राशि से घटाया जाना चाहिए, जो याचिकाकर्ता के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) में 47,19,974/- रुपये है लेकिन वसूली नोटिस में 51,16,471/- रुपये है।
6. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने निर्देशों के आधार पर कहा कि निर्देशों के पैरा-5 में यह बात सामने आई है कि 6,20,000/- रुपये और 15,00,000/- रुपये जमा किए जाने हैं। हालांकि, पैरा-7 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, भुगतान की गई कुल राशि 51,16,471/- रुपये है। उन्होंने तर्क दिया कि याचिका के पैरा-9 और 11 में किए गए कथनों के अनुसार, याचिकाकर्ता जिस पेंशन की हकदार हैं वह 23,100/- रुपये है और याचिकाकर्ता द्वारा पहले से जमा की गई राशि के बाद

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जो अतिरिक्त राशि बचती है, उसका भुगतान याचिकाकर्ता द्वारा किया जाना है। उन्होंने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता को जिलाधिकारी, चित्रकूट के समक्ष जाना चाहिए, जो मामले के इस पहलू पर विचार करेंगे।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और सभी तथ्यों की स्थिति को देखते हुए, रिट याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता देते हुए रिट याचिका **निस्तारित** की जाती है कि वह द्वितीय प्रतिवादी के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। द्वितीय प्रतिवादी 03.04.2026 तक इसे प्राप्त होने पर याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करने की कार्यवाही करेंगे, कोषागार विभाग से रिकॉर्ड मंगवाएंगे और पक्षों को सुनने के बाद आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार सख्ती से आदेश पारित करेंगे।
8. यह उल्लेख करना आवश्यक है कि रिट याचिका का निर्णय प्रतिवादीगण से कोई जवाब मांगे बिना किया गया है। अतः, इस आदेश के पारित होने का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर विचार किया है।
9. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिका **निस्तारित** की जाती है।
10. आज दाखिल किए गए निर्देशों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है और परिशिष्ट 'ए' के रूप में चिह्नित किया जाता है।

(विकास बुधवार, जे.)

मार्च 16, 2026

आशु

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।